



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 24 जून, 2014 ई0

आषाढ़ 03, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 191/XXXVI(3)/2014/38(1)/2014

देहरादून, 24 जून, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिए—

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
(2) यह 1 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 4 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (3) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
“अध्यक्ष, समापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति, प्रत्येक को अपने गृह जनपद में अपने निजी निवास स्थान के रख-रखाव के लिए यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या समापति को रुपये चौतीस हजार मात्र तथा उपाध्यक्ष या उपसभापति को बत्तीस हजार रुपये प्रतिमास के रूप में पाने का अधिकार होगा।”

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।